न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 344/2023
वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. जसवंत सिंह पुत्र श्री लाल सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. हरजिन्द्र कौर पत्नी श्री जसवंत सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सुखजीत सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–
वादी की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :– 19.03.2024

वादी गुरविन्द्र सिंह ने प्रतिवादीगण जसवंत सिंह वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता, प्रतिवादीया सं. 2 वादी की माता एवं प्रतिवादी सं. 3 वादी का भाई जो कि एक सयुक्त परिवार के सदस्य है। तहसील संगरिया के चक 3 आई.डी.जी. के खाता सं. 37/32 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.816 है. तथा प्रतिवादी सं. 2 के नाम से 1.069 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतियां सलंग्न वाद [illegible] चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि वादी एवं प्रतिवा[illegible] सं. [illegible] ता 3 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है जिसमें वादी का जन्म से [illegible] एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि [illegible] के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रति[illegible] सं. 1 ता 3 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:26:05 IST
Reason: SelfAttested

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। उक्त बंटवारा में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज कृषि भूमि वादी को प्राप्त हो गई तथा प्रतिवादी सं. 2 के नाम से दर्ज समस्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को प्राप्त हो गई। वादी को घरू तौर पर बंटवारा में प्राप्त विरासतन कृषि भूमि निम्न प्रकार से प्राप्त हुई हैं :-

(क) वादी गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

तहसील संगरिया के चक 3 आई.डी.जी. के खाता सं. 37/32 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.816 है. कृषि भूमि

यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को प्रश्नगत् कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 3 टाल मटोल करते रहे आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 4 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 3 बी.जी.पी. के खाता सं. 46/41 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 की जमाबन्दी की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 संयुक्त परिवार के सदस्य हैं तथा आपस में कोई विरोध नही है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीया सं. 5 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र के घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण ने राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:26:05 IST
Reason: SelfAttested

लगातार --3

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

वाद पत्र में वर्णित आराजी तहसील संगरिया के चक 3 आई.डी.जी. के खाता सं. 37/32 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.816 है. तथा प्रतिवादी सं. 2 के नाम से 1.069 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीं एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामानुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि तहसील संगरिया के चक 3 आई.डी.जी. के खाता सं. 37/32 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.816 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:26:05 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 344/2023

गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. जसवंत सिंह पुत्र श्री लाल सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. हरजिन्द्र कौर पत्नी श्री जसवंत सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सुखजीत सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.</u>

दिनांक :– 19.03.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि तहसील संगरिया के चक 3 आई.डी.जी. के खाता सं. 37/32 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.816 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ...X...... निल ...X...... मुब्लिक ......X..........निल ....X..... बाबत् ....X........ निल......X...... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....X......को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक .... को जारी किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:26:05 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official